

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क्रमांक :- 184 / 2015)
(संस्थित दिनांक :- 17 / 04 / 2015)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. मजबूत सिंह बरेठा पुत्र सीताराम बरेठा, उम्र 48 वर्ष।
 निवासी :- ग्राम खेरिया तौर, थाना :- मेहगांव, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 24 / 01 / 2018 को घोषित)

01. अभियुक्त मजबूत सिंह पर धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 30 / 01 / 2015 की शाम लगभग 06:40 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे स्थित जैतपुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर बीच रोड़ पर बिना इंडीकेटर जलाएं एक दम से रोका, जिससे आहतगण की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.जी./2676 आपके डम्पर में टकरा गई, जिससे आहत यूनिस को उपहति एवं आहत सलीम को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 30 / 01 / 2015 की शाम लगभग 06:40 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे स्थित जैतपुरा के सामने लोकमार्ग पर, वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 के चालक द्वारा उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर बिना इंडीकेटर जलाये एवं बिना संकेत दिये अचानक रोक दिये जाने से उसके पिता सलीम की मोटर साईकिल एम.पी.30/एम.जी./2676 पीछे से उक्त डम्पर में टकरा जाने से आहत यूनिस एवं सलीम उपहति कारित करने की देहाती नालसी उसी दिनांक : 30 / 01 / 2015 को घटना के लगभग 40 मिनट पश्चात् शाम 07:20 बजे फरियादी शाकिर खॉन द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर, वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 के वाहन चालक के विरुद्ध जीरो पर कायमी की गई। उक्त

देहाती नालसी के आधार पर वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 21/15 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत सलीम के एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 338 का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपी मजबूत सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी मजबूत सिंह द्वारा पेश करने पर वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 मय दस्तावेज जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी धर्मवीर शर्मा का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी शाकिर खॉन, आहतगण/साक्षीगण यूनिस एवं सलीम के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त मजबूत सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी मजबूत सिंह ने दिनांक :- 30/01/2015 की शाम लगभग 06:40 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे स्थित जैतपुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर बीच रोड़ पर बिना इंडीकेटर जलाएं एक दम से रोका, जिससे आहतगण की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.जी./2676 आपके डम्फर में टकरा गई, जिससे आहत यूनिस को उपहति एवं आहत सलीम को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक

दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी शाकिर खॉन अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 30/01/2015 के शाम 06:30 से 06:40 बजे के बीच की ग्वालियर-भिण्ड हाईवे पर जैतपुरा के सामने की है। उस समय वह मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.जी./2676 से गोहद से भिण्ड जा रहा था। साक्षी आगे कहता है कि उसके पापा डिस्कवर मोटर साईकिल से ताउ यूनिस के साथ जा रहे थे, उक्त मोटर साईकिल उसके पापा सलीम चला रहे थे। उसके ताउ यूनिस अंधे हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। साक्षी आगे कहता है कि उनके आगे एक डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 चल रहा था, जिसके चालक ने बिना इंडीकेटर जलाए लापरवाही से एकदम ब्रेक लगा दिया, जिससे उसके पापा की मोटर साईकिल उक्त डम्पर के पीछे टकरा गई, जिससे उसके पापा एवं ताउ के सिर एवं मुँह में काफी चोट आई थी। उसके बाद घटनास्थल पर गांव वाले एकत्रित हो गये, उन लोगों ने एम्बूलेंस को फोन लगा दिया। एम्बूलेंस से वह लोग चिकित्सालय गोहद आ गये। हॉस्पिटल में पुलिस भी आ गई थी। पुलिस को उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई देहाती नालसी प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल के अगले दिन घटनास्थल पर जाकर नक्शा-मौका प्र.पी.05 उसके बताये अनुसार बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पूछताछ की थी। डॉक्टर ने उसके पापा एवं ताउ को ईलाज हेतु ग्वालियर रैफर कर दिया था। दुर्घटनाकारित करने वाले डम्पर को कौन चला रहा था, यह उसने नहीं देखा था और उक्त चालक को वह सामने आने पर भी नहीं पहचान सकता। इस प्रकार आरोपित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी मजबूत सिंह की पहचान के संबंध में फरियादी शाकिर अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं।

09. साक्षी सलीम अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक : 30 जनवरी 2015 के शाम 06 बजे के करीब की बात है। साक्षी आगे कहता है कि वह गोहद से भिण्ड अपनी मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.जी./2676 से जा रहा था, उसके साथ भाई यूनिस भी था तथा एक दूसरी मोटर साईकिल से उसका लड़का शाकिर आ रहा था। जैसे ही वह जैतपुरा पर पहुँचे, उसके आगे एक डम्पर था, जिसका क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 था, जो आगे चल रहा था, उक्त डम्पर आगे तेजी एवं लापरवाही से चल रहा था। साक्षी आगे कहता है कि डम्पर वाले ने बिना इंडीकेटर एवं बिना संकेत दिये अपने डम्पर को रोक दिया, जिससे वह उक्त डम्पर में टकरा गया, जिससे उसके सिर, माथे में चोट आई, उसकी आंख में भी चोट आई थी एवं उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके भाई यूनिस के सिर में चोट आई थी। साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित आरोपी की ओर इशारा किया, यह वही व्यक्ति है, जो घटना के समय डम्पर

चला रहा था तथा उक्त व्यक्ति ने ही घटना कारित की है, उक्त आरोपी से नाम पूछे जाने पर उसने अपना नाम मजबूत सिंह बताया। साक्षी आगे कहता है कि घटना के बाद उसके लड़के शाकिर ने 108 एम्बूलेंस को फोन किया था, जो उसे हॉस्पिटल ईलाज के लिए ले गई थी।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में सलीम अ.सा.02 का कहना है कि दुर्घटनाकारित करने वाला डम्पर उसके आगे लगभग आधा घण्टे तक चलता रहा था और वह डम्पर से लगभग 100 फुट पीछे चल रहा था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आहत सलीम अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि वह अपनी मोटर साईकिल से पन्द्रह-बीस किलोमीटर प्रतिघण्टा की रफ्तार से चल रहा था। इसका अर्थ यह है कि सलीम अ.सा.02 के बताये अनुसार वह लगभग आधे घण्टे तक पन्द्रह-बीस किलोमीटर प्रतिघण्टा की रफ्तार से दुर्घटनाकारित करने वाले डम्पर के पीछे 100 फुट दूरी बनाकर चलता रहा था। इससे यह भी दर्शित होता है कि सलीम के आगे चल रहा उक्त डम्पर भी 15-20 किलोमीटर प्रतिघण्टा की रफ्तार से ही चल रहा था और 15-20 किलोमीटर प्रतिघण्टा की गति किसी भी स्थिति में तेज गति की कोटि में नहीं आती। उल्लेखनीय है कि 15-20 किलोमीटर प्रतिघण्टा की रफ्तार से किसी वाहन के 100 फुट पीछे चलने वाला वाहन आगे चलने वाले वाहन के अचानक ब्रेक लगा देने पर आसानी से ब्रेक लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। वैसे भी किसी भी वाहन चालक से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह उसके पीछे से आ रहे ट्रैफिक को देखकर अपने वाहन में ब्रेक लगाये। ऐसी दशा में आहत सलीम अ.सा.02 का दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन में पीछे से टकरा जाना दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक की उपेक्षा या उतावलापन दर्शित नहीं करता है, बल्कि स्वयं सलीम अ.सा.02 की वाहन चालक क्षमता या उसकी मोटर साईकिल के ब्रेकिंग सिस्टम की कार्य क्षमता में कमी को दर्शित करता है।

11. सलीम अ.सा.02 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि उसने दुर्घटना के समय आरोपी ड्रायवर को देखा था, क्योंकि वह उतरकर उसके पास आया था, लेकिन उसने दुर्घटनाकारित करने वाले ड्रायवर का नाम नहीं पूछा था। इसी साक्षी ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के दौरान न्यायालय में उपस्थित आरोपी मजबूत को देखकर उसकी पहचान आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में की है। परन्तु उसके पुलिस कथन में आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी मजबूत का नाम अथवा उसकी पहचान संबंधी कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। सलीम अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसने पुलिस को आरोपित दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक को सामने आने पर पहचान लेने संबंधी कोई तथ्य पुलिस कथन लेखबद्ध कराते समय प्रकट किये हो। उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में आरोपी की पहचान प्रकरण में जब्त किये गये वाहन क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 के स्वामी धर्मवीर अ.सा.07 द्वारा प्रदत्त प्रमाणीकरण प्र.पी.08 के आधार पर हुई है। ऐसी दशा में

मात्र न्यायालय में उपस्थित होकर दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक के रूप में आरोपी मजबूत को पहचान लेना मात्र आरोपी मजबूत की आरोपित दुर्घटना में वाहन चालक के रूप में पहचान स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

12. साक्षी यूनिस खॉ अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना दिनांक 30 जनवरी की है। साक्षी आगे कहता है कि वह मोटर साईकिल पर पीछे बैठा था तथा उसका भाई सलीम मोटर साईकिल चला रहा था। वह लोग गोहद से मोटर साईकिल से भिण्ड जा रहे थे। उसे अपनी मोटर साईकिल का नम्बर नहीं मालूम। वह लोग ग्राम जैतपुर पहुँचे, तभी एक डम्पर उसकी मोटर साईकिल के आगे जा रहा था, तभी डम्पर ने अचानक ब्रेक लगा दिये, जिससे उसकी मोटर साईकिल उक्त डम्पर में टकरा गई, जिससे उसके एवं उसके भाई सलीम के चोटें आई थी। उसके सिर में चोटें आई थी। साक्षी आगे कहता है कि उसे डम्पर का नम्बर नहीं मालूम। साक्षी आगे कहता है कि फिर उसका भतीजा शाकिर पीछे-पीछे आ रहा था, उसने पुलिस को फोन पर सूचना दी। तत्पश्चात् वह लोग ईलाज हेतु चिकित्सालय गोहद आये थे। साक्षी आगे कहता है कि वह जन्म से अंधा होने के कारण देख नहीं सकता है। स्वयं साक्षी यूनिस खॉ अ.सा.03 द्वारा स्वयं को जन्मांध होना दर्शित करने के कारण उसके द्वारा दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक को पहचाने जाने या दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का नम्बर दर्शित किये जाने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

13. अभियोजन साक्षी धर्मवीर शर्मा अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 का पंजीकृत स्वामी है। साक्षी आगे कहता है कि दिनांक : 30/01/2015 के दो दिन पहले से उसका उक्त डम्पर खराब पड़ा हुआ था, चूँकि दिनांक : 30/01/2015 को उसका उक्त डम्पर खराब पड़ा हुआ था, इसलिए उसे कोई ड्रायवर नहीं चला रहा था। साक्षी आगे कहता है कि वह आरोपी मजबूत सिंह को जानता है, क्योंकि वह उसका ड्रायवर है। साक्षी को प्रमाणीकरण प्र.पी.08 का दस्तावेज दिखाये जाने पर साक्षी ने उक्त दस्तावेज के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर होना व्यक्त किया। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी धर्मवीर अ.सा.07 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि दिनांक : 30/01/2015 को शाम करीबन पौने सात बजे ग्वालियर भिण्ड हाईवे पर डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 को मजबूत सिंह चालक ने उक्त डम्पर को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.जी./2676 के चालक को टक्कर मार दी, जिससे उसे चोटें आई थी। साक्षी धर्मवीर अ.सा.07 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसकी गाड़ी थाने से जब्त हुई थी, जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं उसके द्वारा आरोपी मजबूत सिंह की थाने से जमानत करवाई गई थी, जिसका गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके पास तीन डम्पर

है, जिनके चालक बदलते रहते हैं। साक्षी धर्मवीर अ.सा.07 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि वह आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। इस प्रकार साक्षी धर्मवीर अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी ऐसे कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये हैं जो आरोपित घटना में दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन एम.पी.30/एच/0380 के चालक के रूप में आरोपी मजबूत सिंह की पहचान को दर्शित करते हों। बल्कि धर्मवीर अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के अनुसार वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 खराब पड़ा हुआ होना और चलने योग्य ना होना दर्शित होता है।

14. अभियोजन साक्षी किशनलाल अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक :- 30/01/2015 को पुलिस थाना गोहद चौराहा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को उसने सीएचसी गोहद में फरियादी शाकिर खॉन द्वारा लेखबद्ध कराये जाने पर, डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 के चालक के विरुद्ध उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से वाहन चलाकर आहत सलीम एवं युनुस को उपहति कारित करने की देहाती नालसी रिपोर्ट प्र.पी.04 लिखाई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उक्त देहाती नालसी पर से थाना गोहद चौराहा में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 21/2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा दिनांक : 31/01/2015 को ही फरियादी शाकिर खॉन के बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा दिनांक : 30/01/15 को आहत युनुस, आहत सलीम एवं फरियादी शाकिर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें अपनी ओर से कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान दिनांक : 31/01/2015 को आरोपी मजबूत सिंह को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.06 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आरोपी से डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 मय प्रपत्रों की छायाप्रति जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया था। वाहन स्वामी धर्मवीर शर्मा का प्रमाणीकरण प्राप्त किया था, जो प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में किशनलाल अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रमाणीकरण प्र.पी.08 उसकी हस्तलिपि में लिखा हुआ है। वाहन मालिक धर्मवीर अ.सा.07 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में सारतः उक्त प्रमाणीकरण प्र.पी.08 के तथ्यों के सत्य होने से इन्कार किया है। इसलिए उक्त किशनलाल अ.सा.06 का इस वावत् न्यायालयीन अभिसाक्ष्य सत्य नहीं माना जा सकता कि उसने प्रमाणीकरण प्र.पी.08 वाहन मालिक धर्मवीर शर्मा अ.सा.07 के बताये अनुसार ही लेखबद्ध किया था।

16. डॉ.जे.पी.गुप्ता अ.सा.01 एवं डॉ.अनूप आर्य अ.सा.04 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल आहत सलीम एवं युनुस के मेडीकल परीक्षण एवं आहत सलीम के एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01, प्र.पी.02 एवं एक्स-रे परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

17. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी मजबूत सिंह ने दिनांक :- 30/01/2015 की शाम लगभग 06:40 बजे भिण्ड-ग्वालियर हाईवे स्थित जैतपुरा के सामने लोकमार्ग पर, उसके आधिपत्य के वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से चलाकर बीच रोड़ पर बिना इंडीकेटर जलाएँ एक दम से रोका, जिससे आहतगण की मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.30/एम.जी./2676 आपके डम्पर में टकरा गई, जिससे आहत यूनुस को उपहति एवं आहत सलीम को अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी मजबूत सिंह के विरुद्ध धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी मजबूत सिंह को धारा 279, 337 एवं 338 भा.द.सं. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

20. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन डम्पर क्रमांक एम.पी.30/एच/0380 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी धर्मवीर शर्मा पुत्र मथुरा प्रसाद शर्मा के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद